अध्याय– 18
जल उपभोक्ता समितियों के खाते, बजट, व्यय एवं ऑडिट
(अधिनियम की धारा–27 से 32 तथा नियमावली के नियम–27 (2,3,4,5,6,7) एवं 30 से 33 के अन्तर्गत)

69. **अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति/रजबहा समिति के खाते:**—जल उपभोक्ता समितियों द्वारा तीन खाते राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा पोस्ट आफिस में खोले जायेंगे। तीनों खातों में जमा की जाने वाली धनराशि तथा उसका संयुक्त संचालन निम्न प्रकार से किया जाएगा:—

क्र0	खाते का नाम	संयुक्त संचालनकर्ता	जमा की जाने वाली धनराशि
1.	खाता—शासकीय कोष	सक्षम नहर अधिकारी एवं जल उपभोक्ता समिति का कोषाध्यक्ष	• जल शुल्क का अंश जो सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया गया है। • सिल्ट सफाई हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गयी धनराशि। • नहरों के अनुरक्षण हेतु सरकार द्वारा दी गयी धनराशि। • राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया कोई अन्य अनुदान अथवा सहायता धनराशि। • किसी विशिष्ट कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गयी धनराशि। • इस खातें में जमा की गयी धनराशि से प्राप्त ब्याज। • संरक्षित निधि से प्राप्त ब्याज की धनराशि। • अन्य स्रोतों से प्राप्त शासकीय धन।
2.	खाता—समिति कोष	जल उपभोक्ता समिति का सचिव एवं कोषाध्यक्ष	• परिसम्पत्तियों से प्राप्त आय। • भू—धारकों से अंशदान। • सेवाओं हेतु प्राप्त शुल्क। • कृषकों से प्राप्त शुल्क। • इस खातें में जमा की गयी धनराशि से प्राप्त ब्याज। • किसी संस्था/व्यक्ति आदि से प्राप्त उधार। • दान से प्राप्त धनराशि। • टोल टैक्स से प्राप्त धनराशि। • नहर अपराध पर लगाए गए दण्ड की धनराशि। • अनाधिकृत जल उपयोग एवं जल की बर्बादी पर लगाए गए अर्थ दण्ड की धनराशि।

			• अन्य स्रोतों से समिति द्वारा अर्जित राशियाँ।
3.	खाता–संरक्षित निधि	सक्षम नहर अधिकारी एवं जल उपभोक्ता समिति का अध्यक्ष	• सदस्यता शुल्क। • वार्षिक बजट की 10 प्रतिशत धनराशि। • एकमुश्त क्रियाशील अनुदान। • कोई अन्य धनराशि जैसा विहित किया जाए।

नोटः–(1) मनरेगा से कार्य करने हेतु अलग खाता खोला जाएगा जिसका संचालन सक्षम नहर अधिकारी एवं कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

(2) समस्त खाते समिति के पंजीकृत नाम से ही खोले जाएंगे। किसी भी दशा में समिति का खाता किसी व्यक्ति के नाम से नहीं खोला जाएगा। ऐसा करना उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली 2010 का उल्लंघन माना जाएगा तथा दण्डनीय अपराध होगा। खाता खोलने हेतु समिति के पदाधिकारी एवं उनके हस्ताक्षर का सत्यापन अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जाएगा। खाता संचालन हेतु समय–समय पर परिवर्तित होने वाले पदाधिकारियों के हस्ताक्षर का सत्यापन अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात् ही खाता संचालन हेतु खाता संचालकों का हस्ताक्षर परिवर्तित किया जाएगा।

(3) सक्षम नहर अधिकारी एवं सम्बन्धित समिति के कोषाध्यक्ष द्वारा यथा आवश्यक शासकीय कोष की धनराशि समिति कोष में हस्तान्तरित की जा सकती है।

70. संरक्षित निधि :–जल उपभोक्ता समिति द्वारा संरक्षित निधि से प्राप्त ब्याज की धनराशि प्रबन्धन समिति के पूर्व अनुमोदन से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उपयोग की जाएगी। संरक्षित निधि की मूल धनराशि (पूंजी) का व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा। संरक्षित निधि पर अधिकतम ब्याज प्राप्त करने हेतु इसे सावधि जमा किया जाएगा। मूल धनराशि का उपयोग दण्डनीय अपराध माना जाएगा।

71. जल उपभोक्ता समितियों के वित्तीय स्रोत :–जल उपभोक्ता समिति के आय के स्रोत निम्न होंगेः

(1) जल शुल्क का अंशः–

(क) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका के कमाण्ड क्षेत्र से वसूल किये गये जल शुल्क का निर्धारित अंश अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति को निम्नानुसार प्राप्त होगा–

क्र0	पैतृक नहर का नाम, जिससे अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका सम्बद्ध हैं।	अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका कमाण्ड से वसूल किये गए जल शुल्क की धनराशि/जमाबन्दी की धनराशि		अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति को प्राप्त होने वाले जल शुल्क/जमाबन्दी की धनराशि का अंश			
		कमाण्ड का नाम	वसूल किया गया जल शुल्क/जमाबन्दी की धनराशि	अल्पिका समिति	फेडरेटेड अल्पिका समिति	रजबहा समिति	शाखा समिति
1.	रजबहा	अल्पिका	A	A का 40 प्रतिशत	शून्य	A का 20 प्रतिशत	शून्य
		फेडरेटेड अल्पिका	B	शून्य	B का 20 प्रतिशत	B का 40 प्रतिशत	शून्य
2.	शाखा	अल्पिका	C	C का 40 प्रतिशत	शून्य	शून्य	C का 20 प्रतिशत
		फेडरेटेड अल्पिका	D	शून्य	D का 20 प्रतिशत	शून्य	D का 20 प्रतिशत
3.	परियोजना (मुख्य नहर)	अल्पिका	E	E का 40 प्रतिशत	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) **जल शुल्क के अंश की बजट व्यवस्था कराने की प्रक्रियाः–**

(i) खण्डीय अधिकारी द्वारा जल उपभोक्ता समितियों के लिए प्रस्तर–71(1)क में निर्धारित जल शुल्क/जमाबन्दी की धनराशि के अंश के तुल्य धनराशि की मांग निदेशक, सहभागी सिंचाई प्रबन्धन से की जाएगी। मांग का प्रस्ताव **(परिशिष्ट–26)** पर तैयार किया जाएगा। खण्डीय अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष धन की मांग का प्रस्ताव पिछले वित्तीय वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष में जल शुल्क की वसूल की गई धनराशि अथवा गत वित्तीय वर्ष की दोनों फसली

की जमाबन्दी की संकलित धनराशि के आधार पर तैयार कर 16 अगस्त तक निदेशक, सहभागी सिंचाई प्रबन्धन को प्रेषित कर दिया जाएगा।

(ii) खण्डीय अधिकारियों से प्राप्त मांगों की सकल धनराशि के आधार पर निदेशक, सहभागी सिंचाई प्रबन्धन द्वारा बजट प्रस्ताव सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के नियम 27(3) के अन्तर्गत गठित रेगुलेशन कमेटी को 25 अगस्त तक प्रेषित किया जाएगा। निर्धारित तिथि तक धन की माँग का प्रस्ताव प्राप्त न होने की दशा में विगत वर्ष के प्रस्ताव के आधार पर धन की माँग का प्रस्ताव रेगुलेशन कमेटी को प्रेषित किया जाएगा। रेगुलेशन कमेटी के न होने की दशा में प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग को प्रेषित किया जाएगा।

(iii) रेगुलेशन कमेटी/प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा बजट प्रस्ताव का अंतिमीकरण कर राज्य सरकार को बजट प्राविधान करने हेतु प्रेषित किया जाएगा।

(iv) राज्य सरकार जल उपभोक्ता समिति हेतु जल शुल्क/जमाबन्दी की धनराशि के अंश की बजट व्यवस्था रेगुलेशन कमेटी/प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त करेगी तथा बजट की धनराशि सिंचाई विभाग को हस्तांतरित करेगी।

(ग) प्राविधानित बजट के आवंटन की प्रक्रियाः–

(i) निदेशक, सहभागी सिंचाई प्रबन्धन द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त बजट धनराशि के खण्डवार आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तर–71(1)(ख)(i) के अन्तर्गत खण्डीय अधिकारियों द्वारा प्रेषित मॉग के आधार पर तैयार कर प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष को प्रषित किया जाएगा। प्रस्ताव 15 मई तक प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ii) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा निदेशक, पिम के प्रस्ताव के अनुसार तत्काल बजट आवंटन किया जाएगा तथा सूचना वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग को दी जाएगी।

(iii) वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग द्वारा बजट आवंटन के आधार पर साख–सीमा निर्गत की जाएगी। बजट आवंटन की सम्पूर्ण धनराशि की एक ही साख–सीमा निर्गत की जाएगी जो खण्डवार होगी। खण्डवार साख–सीमा अधिकतम 31 मई तक निर्गत कर दी जाएगी जिसकी एक प्रति निदेशक, पिम को भी दी जाएगी।

(iv) साख–सीमा प्राप्त हाने की तिथि से अधिकतम 15 दिन के अन्दर अधिशासी अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित जल उपभोक्ता समितियों को प्रस्तर–71(1)(क) के अनुसार उनकी माँग मानते हुए धनराशि हस्तान्तरित कर दिया जाएगा तथा इसकी सूचना सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, पिम को दी जाएगी।

(2) एकमुश्त क्रियाशील अनुदानः–

(क) जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन के अन्तर्गत जल उपभोक्ता समितियों को एकमुश्त क्रियाशील अनुदान दिया जाता है। एकमुश्त क्रियाशील अनुदान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/कृषकों द्वारा निर्धारित अंशदान किए जाने का प्राविधान है।

(ख) एकमुश्त क्रियाशील अनुदान प्रति हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र के आधार पर देय है तथा इसे प्राप्त करने हेतु जल उपभोक्ता समितियों द्वारा निर्धारित प्रतिशत की दर से कृषकों का अंशदान सुनिश्चित करना होगा। यह धनराशि जल उपभोक्ता समिति की संचित निधि खाते में जमा की जाएगी। इस धनराशि पर प्राप्त वार्षिक ब्याज जल उपभोक्ता समिति के शासकीय खाते में जमा की जाएगी जिसका उपभोग समिति द्वारा अपने उत्तरदायित्व निर्वहन में किया जाएगा। मूल धनराशि किसी भी दशा में व्यय नहीं की जा सकती है। मूल धनराशि का व्यय दण्डनीय अपराध होगा।

(3) मनरेगा योजना की धनराशि :–अल्पिका/रजबहा समितियाँ कार्यदायी संस्था के रूप में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनयम, 2005 के अन्तर्गत सिंचाई नालियों के निर्माण एवं अनुरक्षण तथा अल्पिका/रजबहा के अनुरक्षण एवं रख–रखाव हेतु प्राप्त धनराशि का उपभोग करेंगी। मनरेगा योजना से धनराशि प्राप्त करने तथा व्यय आदि की व्यवस्था शासनादेश

3744/38–7–2011–184मनरेगा/2011 दिनांक 13 सितम्बर, 2011 **(परिशिष्ट–27)** में दी गयी है। इस कार्य के लिए एक अलग खाता खोला जाएगा जिसका संचालन सक्षम नहर अधिकारी एवं समिति के कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

(4) सेवाओं से प्राप्त शुल्क :– निगमित निकाय होने के कारण जल उपभोक्ता समिति सिंचित कृषि से जुड़ी सेवा यथा कृषि संयन्त्र किराए पर देना आदि प्रदान करने के लिए सरकारी/गैर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा सेवा शुल्क प्राप्त कर सकती है।

(5) कृषकों से प्राप्त सेवा शुल्क :– अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका द्वारा अपने दायित्यों के निर्वहन से सम्बन्धित प्राप्त की जाने वाली वाह्य सेवाओं हेतु कृषकों से शुल्क प्राप्त किया जा सकता है। शुल्क प्राप्त करने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी–

(क) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका प्रबन्धन समिति द्वारा शुल्क की दर का प्रस्ताव तैयार कर सम्बन्धित समिति की सामान्य सभा के दो तिहाई बहुमत (सामान्य सभा मे उपस्थित एवं मतदान करने वालों की संख्या का दो तिहाई) से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। दो तिहाई बहुमत की संख्या सामान्य सभा की कुल संख्या की 50 प्रतिशत से कम नही होगी। इस हेतु निम्नलिखित सेवाएं प्राप्त करने हेतु शुल्क लगाया जा सकता है–

- सींच अंकन करने/कराने हेतु कार्मिकों की सेवाएं
- जल शुल्क जमा करने/कराने हेतु कार्मिकों की सेवाएं
- जल वितरण करने/कराने हेतु कार्मिकों की सेवाएं
- नहरों का अनुरक्षण कराने हेतु कार्मिकों की सेवाएं

(ख) प्रस्तर–71(5)(क) के अनुसार तैयार प्रस्ताव पर सामान्य सभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् इसकी सूचना सक्षम नहर अधिकारी को दी जाएगी।

(ग) सेवा शुल्क की वसूली कोषाध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा प्राप्तगी की रसीद **प्रारूप परिशिष्ट–28** पर निर्गत की जाएगी तथा रसीद का प्रतिपर्ण कोषाध्यक्ष

द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा। वसूली हेतु अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका अथवा कुलाबा समिति के सदस्यों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

(घ) अल्पिका समिति द्वारा प्राप्त सेवा शुल्क की 10 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित रजबहा समिति को हस्तान्तरित की जाएगी।

(च) फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा प्राप्त सेवा शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित रजबहा समिति को हस्तान्तरित की जाएगी।

(6) **भू–धारकों से प्राप्त सहयोग धनराशि :–** भू–धारकों से सहयोग प्राप्त करने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा भू–धारकों से सहयोग धनराशि प्राप्त करने का प्रस्ताव अपनी सामान्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। सहयोग धनराशि का अल्पिका समिति एवं रजबहा समिति अथवा फेडरेटेड अल्पिका समिति एवं रजबहा समिति के बटवारे के प्रतिशत का निर्धारण भी समान्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। सामान्य सभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित हाने की दशा में सहयोग धनराशि प्राप्त की जा सकती है। दो तिहाई बहुमत की संख्या सामान्य सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से कम नही होगी। भू–धारकों से सहयोग धनराशि प्राप्त होने पर प्राप्तगी की रसीद **प्रारूप परिशिष्ट–28** पर निर्गत की जाएगी तथा रसीद का प्रतिपर्ण कोषाध्यक्ष द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा। अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के पदाधिकारियों का यह दायित्व होगा कि सामान्य सभा द्वारा रजबहा समिति हेतु निर्धारित धनराशि रजबहा समिति को हस्तान्तरित कर दे। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम का उल्लंधन मान कर दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

(7) **दानः–** किसी व्यक्ति/संस्था आदि से प्राप्त किसी प्रकार का दान प्राप्त होने पर प्राप्तगी की रसीद **प्रारूप परिशिष्ट–28 पर** निर्गत की जाएगी तथा रसीद का प्रतिपर्ण कोषाध्यक्ष द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।

(8) **सक्षम नहर अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् परिसम्पत्तियों से प्राप्त आयः**–सिंचाई प्रबन्धन के हस्तांतरण के अन्तर्गत हस्तांतरित की गई परिसम्पत्तियों

यथा नहर हेतु अधिग्रहित भूमि पर किसी प्रकार के पेड़, कृषि आदि के उत्पाद से आय, नहर की सिल्ट की ब्रिक्री आदि से प्राप्त जल उपभोक्ता समिति की आय होगी। कोषाध्यक्ष द्वारा आय की प्राप्तगी की रसीद **प्रारूप परिशिष्ट–28 पर** निर्गत की जाएगी तथा रसीद का प्रतिपर्ण कोषाध्यक्ष द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा। परिसम्पत्तियों से आय प्राप्त की पूर्व अनुमति सक्षम नहर अधिकारी से प्राप्त की जाएगी।

(9) **पेनॉल्टी तथा प्रशमन शुल्क :–** नहर अपराधों को जल उपभोक्ता समिति द्वारा माफ किए जाने पर प्राप्त प्रशमन शुल्क तथा अनाधिकृत जल प्रयोग अथवा जल की बर्बादी पर आरोपित पेनॉल्टी से प्राप्त आय। कोषाध्यक्ष द्वारा प्राप्तिगी रसीद **प्रारूप परिशिष्ट–28** पर निर्गत की जाएगी तथा रसीद का प्रतिपर्ण कोषाध्यक्ष द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।

(10) **उधार :–** जल उपभोक्ता समितियाँ बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से उधार (लोन) प्राप्त कर सकती हैं।

(11) **जमा राशियों पर ब्याज**

(12) **राज्य अथवा केन्द्र सरकार से अनुदान**

(13) **टोल टैक्स**

(14) **अन्य विभागों/अभिकरणों/जन प्रतिनिधियों से प्राप्त धन।**

72. (1) **शासकीय धनराशि का स्वरूप :–**राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा जल उपभोक्ता समिति को उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि डिपॉजिट के रूप में होगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त शासकीय कोष की धनराशि का उपभोग अगले वित्तीय वर्ष के अधिकतम 6 माह के अन्दर कर लिया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष के 6 माह की समाप्ति पर शासकीय कोष की अवशेष धनराशि जल उपभोक्ता समिति की संरक्षित निधि में जमा कर दी जाएगी। जमा किए जाने की रसीद तथा जमा किए जाने के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति जल उपभोक्ता समिति द्वारा सक्षम नहर अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। मूल जमा रसीद तथा प्रमाण–पत्र ऑडिट हेतु वाउचर का कार्य करेगी।

(2) **वित्तीय स्रोतों से प्राप्त धनराशि का उपयोगः–**जल उपभोक्ता समितियों द्वारा प्रस्तर–71 में निर्धारित निधियों से प्राप्त धन का उपभोग अपने कृत्यों के सम्पादन

तथा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाएगा। जल उपभोक्ता समितियों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले कार्यो की कार्ययोजना (बजट) का अनुमोदन गणपूर्ति युक्त सामान्य सभा की बैठक में उपस्थित दो–तिहाई सदस्यों के बहुमत से कराया जाएगा। जल उपभोक्ता समितियाँ कार्ययोजना में निर्धारित कार्यों के सम्पादन हेतु प्राप्त निधियों का उपभोग कर सकती हैं। यदि कोई कार्य, जो कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है, को सम्पादित कराया जाना है तो इस कार्य का अनुमोदन गणपूर्ति युक्त सामान्य सभा की बैठक में उपस्थित दो–तिहाई सदस्यों के बहुमत से प्राप्त किया जाना होगा।

73. जल उपभोक्ता समिति का बजट (वार्षिक कार्ययोजना)

(1) बजट (आय–व्यय अनुमान/वार्षिक कार्ययोजना)

(क) अल्पिका, रजबहा तथा शाखा समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में कराए जाने वाले कार्यों का बजट (आय–व्यय अनुमान) निम्नलिखित बजट प्रपत्र पर तैयार किया जाएगा।

बजट–प्रपत्र

वर्ष.....के लिये वार्षिक बजट

क्र.सं.	प्राप्ति का मद	धनराशि (रू0)	क्र.सं.	व्यय का मद	धनराशि (रू0)
क	अनुदान		(1)	नहरों का अनुरक्षण	
	1. केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान 2. राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान 3. अन्य वित्तीय अभिकरण एवं अन्य विभाग से प्राप्त अनुदान 4. अन्य अनुदान			1. लाइनिंग की मरम्मत 2. सर्विस रोड तथा डौलों की मरम्मत 3. नहर के बैंक की मरम्मत 4. नहर के सेक्सन की मरम्मत 5. नहर से सम्बन्धित पक्के कार्य 6. नहर की सिल्ट निकालना 7. जंगल/झांड़ी की सफाई करना 8. नहर के अवरोधों को हटाना 9. अन्य सम्बन्धित कार्य	
ख	जल शुल्क एवं आस्तियां				
	1. संपत्ति और आस्तियों से प्राप्त आय 2. राज्य सरकार से प्राप्त				
			(2)	परिसम्पत्तियों की मरम्मत	

	संग्रहित जल शुल्क की धनराशि 3. आरोपित दण्ड से प्राप्त धनराशि 4. अन्य			1. शटर का रंगना, चिकनाई तथा मरम्मत का कार्य 2. कार्यो को पुनर्स्थापित करना आदि	
ग	**जन प्रतिनिधियों से प्राप्त सहायता**		**(3)**	**वेतन/मानदेय**	
	1.विधायक निधि से प्राप्त आय 2. सांसद निधि से प्राप्त आय 3. पंचायत से प्राप्त आय 4. अन्य			**1.** इंजीनियर का वेतन एवं मानदेय **2.** लेखाकार का वेतन एवं मानदेय **3.** पदाधिकारियों का मानदेय	
घ	**कृषकों एवं अन्य से प्राप्त आय**		**(4)**	**आडिट पर व्यय**	
	1. भू–धारकों से प्राप्त अंशदान 2. दान से प्राप्त धनराशि 3. जल उपभोक्ता समिति द्वारा लागू की गयी सेवा शुल्क से प्राप्त आय। 4. टोल टैक्स से प्राप्त आय 5. अन्य		**(5)**	**फील्ड गूल पर व्यय**	
				1. निर्माण 2. मरम्मत	
ड	**जमा राशियों पर प्राप्त ब्याज**		**(6)**	**कार्यालय व्यय**	
	1. संरक्षित निधि से प्राप्त वार्षिक ब्याज 2. अन्य खातों से प्राप्त ब्याज की धनराशि 3. अन्य			1. अभिलेख अनुरक्षण 2. किराये के कार्यालय अनुरक्षण 3. स्टेशनरी 4. बैठकों पर व्यय 5. विविध व्यय	
च	**उधार से प्राप्त धनराशि**		**(7)**	**कार्यालय साज–सज्जा**	
	1. किसी संस्था से प्राप्त उधार (लोन) 2. बैंक से प्राप्त उधार **3.** अन्य उधार			1. कुर्सी, मेज, दरी 2. कम्प्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री 3. फोन 4. विविध	
			(8)	**दैनिक कार्मिकों को मानदेय**	
छ	**नरेगा /मनरेगा योजना से प्राप्त धनराशि**		**(9)**	**यात्रा व्यय**	
ज	**अन्य प्राप्तियाँ**				

			(10)	कार्यालय किराया पर व्यय	
			(11)	अन्य व्यय	
	योग		(12)	योग	

नोटः– 1. सक्षम नहर अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे अपने प्राधिकार क्षेत्र की जल उपभोक्ता समितियों से उनका बजट तैयार कराएं तथा सामान्य सभा में उपस्थित होकर बजट पारित करवाएं। प्रत्येक सक्षम नहर अधिकारी के अधीन कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का यह दायित्व होगा कि वे सक्षम नहर अधिकारी के निर्देशानुसार बजट तैयार कराने एवं पारित कराने की कार्यवाही करें।

2. अधिशासी अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि बजट तैयार करने हेतु समस्त आवश्यक सूचनाओं को उपलब्ध कराएं।

(ख) आय–व्यय अनुमान (कार्ययोजना–वार्षिक बजट) को प्रत्येक वर्ष के 15 मार्च तक सामान्य सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) प्रारूप बजट (वार्षिक कार्ययोजना) के साथ निम्न बिन्दुओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत की जाएगी–

(i) नवीनतम संप्रेक्षण आख्या तथा अनुपालन की स्थिति।

(ii) बजट प्रस्ताव एवं औचित्य।

(iii) पिछले वित्तीय वर्ष के बजट के उपभोग की प्रास्थिति पर रिपोर्ट।

(घ) प्रारूप बजट सामान्य सभा की बैठक के नियत दिनांक से एक सप्ताह पूर्व जल उपभोक्ता समिति के कार्यालय में रखा जाएगा।

(च) बजट का अनुमोदन, गणपूर्ति युक्त (कोरम) सामान्य सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 संख्या, द्वारा किया जाएगा।

(छ) सक्षम नहर अधिकारी इस बैठक में विशेष आमंत्री होंगे। अनुमोदित बजट की एक प्रति सक्षम नहर अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(ज) वार्षिक बजट हेतु व्यय अनुमान में निम्नलिखित शर्तों सम्मिलित की जाएगी–

- **कार्यालय व्यय मद** में व्यय की अधिकतम सीमा वार्षिक बजट की 5 प्रतिशत होगी।

- **कार्यालय साज–सज्जा मद** में व्यय की अधिकतम सीमा वार्षिक बजट की 5 प्रतिशत होगी।
- **यात्रा व्यय** की अधिकतम सीमा वार्षिक बजट की 2 प्रतिशत होगी।
- दैनिक कार्मिकों को मानदेय की अधिकतम सीमा बजट की 5 प्रतिशत होगी।

(झ) प्रस्तर–73(1)(ज) के अतिरिक्त व्यय के विभिन्न मदों में प्रस्तावित धनराशि का व्यय सिंचाई विभाग में प्रचलित दर मानकों के आधार पर किया जाएगा। यदि सिंचाई विभाग में किसी मद का मानक निर्धारित नहीं है तो अधिशासी अभियन्ता द्वारा सक्षम–स्तर से मानक का निर्धारण कराया जाएगा।

(छ) जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा विभिन्न मदों में व्यय की जाने वाली वास्तविक धनराशि सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित बजट के अन्तर्गत सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि से अधिक नहीं होगी। यदि किसी कारणवश प्रबन्धन समिति को यह प्रतीत होता कि बजट में प्राविधानित धनराशि की सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है तो प्रबन्धन समिति द्वारा पुनरीक्षित प्राविधान का सामान्य सभा से अनुमोदन अनिवार्य होगा।

(ज) सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित बजट में प्रस्तावित कार्यों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नही कराया जा सकता है।

(झ) विशेष परिस्थितियों में सम्पादित कार्यों का अनुमोदन सामान्य सभा से कराना अनिवार्य होगा।

(ट) वास्तविक व्यय सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009; सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010; सहभागी सिंचाई प्रबन्धन मैनुअल; सिंचाई विभाग में प्रचलित व्यवस्था अथवा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों के आधार पर किया जाएगा।

(ठ) जल उपभोक्ता समितियों के कार्यालय के मासिक किराए हेतु दर की सीमा का निर्धारण उपभोक्ता समिति की सामान्य सभा (गणपूर्ति सहित) के दो–तिहाई बहुमत द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जिसका भुगतान भवन स्वामी से प्राप्त बीजक के आधार पर किया जाएगा।

(ड) प्रस्तर 73(1)(ज) के अन्तर्गत कार्यालय व्यय मद, कार्यालय साज–सज्जा मद, यात्रा व्यय मद तथा दैनिक कार्मिकों को मानदेय मद हेतु निर्धारित धनराशि की सीमा को बढ़ाने का अनुमोदन सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाएगा। परन्तु इन मदों हेतु निर्धारित

सकल धनराशि की सीमा (बजट का 17 प्रतिशत) को सक्षम नहर अधिकारी द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है।

(ण) सामान्य सभा द्वारा बजट अनुमोदन के पश्चात् कार्यालय व्यय मद, कार्यालय साज–सज्जा, यात्रा मद तथा दैनिक कर्मियों के मानदेय से सम्बधित धनराशि जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति के औचित्य पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर जल उपभोक्ता समिति के कोषाध्यक्ष एवं सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रस्तर 73(1)(ज) में निर्धारित अधिकतम सीमा तक धनराशि यथास्थिति जल उपभोक्ता समिति के शासकीय कोष के खातें से समिति कोष के खाते में हस्तान्तरित करेंगे। जल उपभोक्ता समिति द्वारा इन मदों में किए गए व्यय का विवरण माहवार सक्षम नहर अधिकारी को दिया जाएगा। यदि प्राप्त प्रस्ताव औचित्यपूर्ण प्रतीत नही होता है तो प्रस्ताव का निरस्तीकरण कारणों को स्पष्ट रुप से अभिलिखित करते हुए ही किया जाएगा।

(2) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा समिति द्वारा वित्तीय प्रबन्धन हेतु संरक्षित की जाने वाली पंजिकाएं :– वित्तीय प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित पंजिकाएं अनुरक्षित की जांएगीः–

- कैश–बुक
- लेजर पंजिका
- चेक निर्गत पंजिका
- बिल पंजिका
- जनरल पंजिका
- बैंक–बुक पंजिका

(3) वित्तीय अभिलेखनः–वित्तीय अभिलेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान दिया जाएगा–

- प्रत्येक कैश, चेक एवं अन्य प्रकार की प्राप्ति पर जल उपभोक्ता समिति द्वारा एक प्राप्ति रसीद जारी किया जाएगा;
- प्रत्येक प्रकार के व्यय के साथ वाउचर अथवा बिल प्राप्त किया जाएगा ;
- भुगतान से पूर्व प्रत्येक वाउचर अथवा बिल जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष द्वारा भुगतान हेतु पास किया जाएगा ;
- सभी प्रकार की प्राप्ति रसीद एवं वाउचर अथवा बिल को क्रमिक रूप से संबंधित जनरल एवं कैशबुक पंजिका में अंकित किया जाएगा।

- जनरल पंजिका में अंकित एकरूपी अभिलेखों, प्राप्ति अथवा व्यय को समूह में रखकर लेखा बही में अंकित किया जाएगा।
- भुगतान स्वरूप निर्गत चेक का विवरण चेक निर्गत पंजिका में अंकित किया जाएगा।
- प्रत्येक बिल को बिल पंजिका में अंकित किया जाएगा।
- सभी व्यय का स्वीकृत वाउचर होना चाहिए।

74. जल उपभोक्ता समिति का सम्प्रेक्षण (ऑडिट):–उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के नियम 33 के अन्तर्गत जल उपभोक्ता समितियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष का ऑडिट निम्नानुसार कराया जाएगा–

क– आन्तरिक सम्प्रेक्षण:–

(1) प्रत्येक अल्पिका/रजबहा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति के लेखों का वार्षिक सम्प्रेक्षण सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नामित किये गये सम्प्रेक्षकों के पैनेल के किसी सम्प्रेक्षक द्वारा कराया जाएगा। अधीक्षण अभियन्ता अपने मण्डल में कार्यरत लेखाधिकारियों को सम्प्रेक्षकों के पैनल मे नामित कर सकते है;

(2) प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 30 जून के मध्य अधिकतम तीन माह के अन्तर्गत किसी प्राधिकृत सम्परीक्षक से जल उपभोक्ता समिति द्वारा कोषाध्यक्ष के माध्यम से गत वर्ष के लेखों की सम्परीक्षा कराई जाएगी;

(3) सम्परीक्षक द्वारा अपनी नियुक्ति की तिथि से अधिकतम 30 दिन के अन्दर जल उपभोक्ता समिति के कार्यों की सम्परीक्षा कर सम्परीक्षा आख्या के साथ बैलेन्स शीट तथा लेखो का स्टेटमेन्ट आदि सम्बन्धित जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष, सक्षम नहर अधिकारी, तात्कालिक उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति तथा निबन्धक को उपलब्ध कराया जाएगा;

(4) सम्बन्धित अल्पिका समिति द्वारा सम्परीक्षण की अनुपालन आख्या सम्बन्धित निबन्धक (अधिशासी अभियन्ता) तथा रजबहा समिति को प्रस्तुत की जाएगी;

(5) सम्बन्धित रजबहा समिति द्वारा सम्परीक्षण की अनुपालन आख्या सम्बन्धित निबन्धक (अधीक्षण अभियन्ता) तथा शाखा समिति को प्रस्तुत की जाएगी;

(6) सम्परीक्षा हेतु सम्परीक्षक (विभागीय लेखाधिकारियों को छोड़कर) को भुगतान जल उपभोक्ता समिति द्वारा किया जाएगा।

ख– वाह्य सम्प्रेक्षण :–

(1) जल उपभोक्ता समितियों का वाह्य सम्पपरीक्षण स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा कराया जाएगा। सम्परीक्षा करने हेतु स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा निम्नलिखित तैनातियाँ की जाएंगी–

(i) सिंचाई विभाग के मण्डल कार्यालय (अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय) पर एक वरिष्ठ लेखा परीक्षक तथा एक लेखा परीक्षक की तैनाती की जाएगी।

(ii) मुख्य अभियन्ता कार्यालय पर एक संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को तैनात किया जाएगा।

(iii) वरिष्ठ लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षक संयुक्त निदेशक के पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण में कार्य करेंगे।

(2) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा प्रस्तर–74ख के अनुसार तैनातियाँ किए जाने तक अधीक्षण अभियन्ता द्वारा वाह्य सम्परीक्षा निम्नानुसार कराई जा सकती है–

(i) सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता अपने मण्डल के अन्तर्गत आने वाली जल उपभोक्ता समितियों की सम्परीक्षा कराने हेतु किसी सम्परीक्षक एजेन्सी के साथ अनुबन्ध करेंगे। सम्परीक्षक एजेन्सी के साथ अनुबन्ध करने में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण (Terms of Reference) **परिशिष्ट–29** के अनुसार होगा।

(ii) यदि सम्परीक्षा सम्परीक्षक एजेन्सी द्वारा कराई जाती है तो सम्परीक्षक एजेन्सी के साथ अनुबन्ध करने में भारतीय चार्टेड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को यथाआवश्यक सम्मिलित किया जाएगा।

(iii) जल उपभोक्ता समितियों की सम्परीक्षा कराने हेतु सम्परीक्षक एजेन्सी के साथ किए जाने वाले अनुबन्ध हेतु धनराशि की व्यवस्था सिंचाई विभाग द्वारा की जाएगी।

(iv) प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुबन्धित सम्परीक्षक एजेन्सी से सम्परीक्षा कराने हेतु बाध्य होगी।

(v) जिन जल उपभोक्ता समितियों द्वारा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्धारित सम्परीक्षकों के पैनल से किसी सम्परीक्षक द्वारा सम्परीक्षा कराकर सम्परीक्षा आख्या सम्बन्धित निबन्धक एवं सक्षम नहर अधिकारी को प्रेषित कर दी गई है उन जल उपभोक्ता समितियों की सम्परीक्षा अनुबन्धित एजेन्सी से कराने/न कराने का निर्णय अधीक्षण अभियन्ता द्वारा लिया जाएगा।

(8) सम्बन्धित रजिस्ट्रार द्वारा सम्परीक्षा आख्या पर जल उपभोक्ता समिति की टिप्पणी प्राप्त करने के पश्चात् सक्षम नहर अधिकारी एवं जल उपभोक्ता समिति को यथा आवश्यक आदेश/निर्देश जारी किया जाएगा।